



बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केन्द्रों को कौशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिला नियोजन पदाधिकारी, जमुई एवं जिला कौशल प्रबंधक, जमुई के द्वारा Shiksha (KYP05020020) and (KYP05020006), जमुई का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि यह केन्द्र स्वीकृत पते पर नहीं पाया गया।

अतः समीक्षोपरान्त Shiksha (KYP05020020) and (KYP05020006), जमुई के दोनों केन्द्रों को भुगतान किये जाने वाली राशि के Final Invoice से 30% राशि की कटौती जिस तिथि से केन्द्र स्थानान्तरित किया गया है से तबतक की जाती रहेगी जबतक ऐसे केन्द्र को पुनः बिहार कौशल विकास मिशन के मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं कर दिया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Shukla
05/06/23

(संजीव रंजन नीलमणि)
मिशन प्रबंधक(परियोजना)
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक—BSDM/KYP-95/2023 -764

पटना दिनांक— 05-06-23

- प्रतिलिपि—(1) Shiksha (KYP05020020) and (KYP05020006), जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (2) Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (3) मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त केन्द्र से कटौती सुनिश्चित किया जाए।
- (4) जिला नियोजन पदाधिकारी/जिला कौशल प्रबंधक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shukla
05/06/23

मिशन प्रबंधक(परियोजना)
बिहार कौशल विकास मिशन